महत्वपूर्ण एवं खास

पूरी-अजमेर स्पेशल ट्रेन का साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन में ठहराव सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा पश्चिम रेल्वे के अमदाबाद रेल मण्डल में स्थित साबरमती जंक्शन रेल्वे स्टेशन में अतिरिक्त ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 02037/02038 पूरी-अजमेर-पूरी स्पेशल ट्रेन का साबरमती जंक्शन रेल्वे स्टेशन में अतिरिक्त ठहराव की सुविधा 15 जुलाई से प्रदान की गयी है। 02037 पूरी-अजमेर स्पेशल ट्रेन साबरमती जंक्शन रेल्वे स्टेशन में 10.22 बजे पहुचकर 10.24 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार 02038 अजमेर-पूरी स्पेशल ट्रेन साबरमती जंक्शन रेल्वे स्टेशन में 02.11 बजे पहुचकर 02.13 बजे रवाना होगी ।

क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर पूछा ओटीपी, निकाल लिया पौने दो लाख रुपए

महासमुंद (आरएनएस)। जिले के सांकरा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर पीड़ित के अकाउंट से 178887 रुपए साफकर लिया। इस संबंध में पीड़ित ने सांकरा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 420 व आईटी एक्ट 66 के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सांकरा थाना क्षेत्र के बल्दीडीह निवासी मेहत्तर बरिहा पिता देवसिंह बरिहा के एसबीआई अकाउंट से उक्त राशि की ठगी कर ली। आरोपी पिछले 3 महीने से पीड़ित को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के लिए लगातार फोन कर रहा था। अंत में पीड़ित ने 9 जुलाई को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर आरोपी से ओटीपी शेयर कर दिया और ठग के झांसे में आ गया। पीड़ित ने आरोपी से 3 बार ओटीपी को शेयर किया था, जिसमें से उक्त राशि को आरोपी ने अकाउंट से हासिल कर लिया।

साइकिल से जा रहे युवक को चाकू मारकर नगदी व मोबाईल लूट लिया, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। चाकू मारकर एक नग मोबाईल तथा नगदी रुपये लूट लेने की रिपोर्ट खमतराई थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार गोंदवारा खमतराई निवासी नसीम अंसारी 21 ज्ञासुद्दीन अंसारी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी सायकल से अपने मामा के यहां जा रहा था। तभी पैदल जा रहे निर्मल महानंद 19 वर्ष पिता अजय महानंद एवं अन्नू सोनी,सिवोन छुरा ने दुर्गा पेट्रोलपंप के पहले गोंदवारा में 15 जुलाई को रात 10.30 बजे चाकू मारकर 300 रुपये नगदी तथा वीवो कंपनी का मोबाईल लूटकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 394 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन कार्यों का करेंगे परीक्षण

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का माह जुलाई का दौरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक 0अशोक कुमार सिंह (मोबाइल नम्बर 9532060766) बीजापुर और सुकमा जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।

हर कुपोषित बच्चो को ट्रैक कर उसके स्वास्थ्य व खानपान का रखना है पूरा ख्याल-कलेक्टर

» कलेक्टर सिंह ने महिला बाल विकास विभाग की ली समीक्षा बैठक

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने पिछले 6 माह में कुपोषण मुक्ति के लिए किए गए कार्यों की सेक्टरवार समीक्षा की। जिन सेक्टरों में प्रदर्शन अच्छा रहा उनकी सराहना की तथा आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित करने की बात कही। वहीं जिन सेक्टरों में प्रदर्शन कमजोर रहा वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में कुपोषण में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आयी है। हमें अब जिले में कुपोषण की दर को और नीचे लेकर जाने के लिए तेजी से कार्य करना होगा।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए किए गए कार्यों में कुछ सेक्टरों में बहुत अच्छा काम हुआ है। वहीं कुछ में अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी तभी हम जल्द जिले में कुपोषण की दर न्यूनतम कर सकेंगे। कापू व घरघोड़ा सेक्टर के सीडीपीओ को अच्छे कार्य के लिए 15 अगस्त के समारोह में पुरस्कार स्वरूप मोबाईल देने के निर्देश दिए।

इन सेक्टर्स के सरिया, कोलाईबहाल, बाकारूमा में कुपोषण के दर में अच्छी कमी लायी गई है। कलेक्टर सिंह ने यहां के सुपरवाईजर्स से उनके अनुभव सबसे साझा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से बच्चों के पालकों से गृह भेंट कर खानपान व स्वच्छता संबंधी आदतों का महत्व बताया गया। गर्म भोजन व अण्डा बच्चों को अपने सामने खिलाया गया। जिससे सुनिश्चित हो कि पोषण आहार बच्चे को समय पर मिल रहा है। वहीं मुकडेगा तथा लेन्ध्रा सेक्टर में अपेक्षित कार्य नहीं होने पर कलेक्टर सिंह ने वहां के सीडीपीओ व सेक्टर सुपरवाईजर पर गहरी नाराजगी जताई। कलेक्टर सिंह ने सभी सुपरवाईजर से कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए एक-एक कुपोषित बच्चों को ट्रैक कर उसके स्वास्थ्य व खानपान का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती माताओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। गर्भवती माताओं में पोषण स्तर कम होने पर उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है तथा उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं के खान-पान का विशेष ध्यान रखने तथा उन्हें भी अण्डा प्रदान करने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सभी विकासखण्ड के सीडीपीओ के कार्यों की समीक्षा की। कार्य में लापरवाही के चलते पुसौर, रायगढ़ शहरी, बरमकेला व लेन्ध्रा के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने एनआरसी केन्द्रों के संचालन की जानकारी ली। जिला अस्पताल में संचालित एनआरसी में बच्चों के खिलौने व टीबी की व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जतायी। सभी एनआरसी केन्द्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े शिक्षाप्रद वीडियो सुबह-शाम एक-एक घंटे दिखाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में एनआरसी केन्द्र की फीडिंग डिमान्सट्रेटर द्वारा बच्चों व महिलाओं के खान-पान की सही मात्रा व तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

किसान अब 31 तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित थी ,जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते है। जोखिम यथा 'फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान' को योजना में प्रावधानित किया गया है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2021 तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। राज्य के किसान खरीफ सीजन 2021 के तहत फसलों का पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे । मौसम आधारित फसल बीमा के लिए पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित थी , जिसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसानों के हित के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के आग्रह पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है।

अस्पताल में पैसे जमा करने के नाम पर बैंक से 23 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी स्थित सिविल लाइन में डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है। ठग आईडीबीआई बैंक में खुद को स्टील कारोबारी बताकर फ ोन किया और अस्पताल में पैसे जमा करने की जरूरत बताकर 23 लाख 31 हजार 955 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब रुपए ट्रांसफ र होने के बाद बैंक में मेसर्स बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संयम बैद ने फोन किया। बैंक के कर्मचारियों ने जब उनसे पैसे ट्रांसफर होने की जानकारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि पैसे के लिए न तो कोई मेल भेजा है और ना मैंने मैसेज किया है। उसके बाद बाद बैंक के कर्मचारियों के हाथ पांव फू ल गए। बैंक प्रबंधक रवि शेखर सिंह ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक रवि शेखर सिंह ने अपराध दर्ज कराया है कि सिविल लाइंस शाखा स्थित आइडीबीआई बैंक में मेसर्स बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है। इसे मंजू बैद, सोनल बैद, संयम बैद और श्रेयांश बैद ऑपरेट करते हैं। दो जुलाई को उन्हें 9871364226 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले आरोपित ने स्वंय को संयम बैद बताया और कहा कि उसे एक मेडिकल एमरजेंसी में रुपयों की जरूरत है। इसलिए तत्काल आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दें। आरोपित ठग ने बैंक कर्मचारी को अपने झांसे में लेने के लिए एक डिमांड लेटर भी बैंक को मेल किया। पत्र में किए गए संयम बैद के हस्ताक्षर को खाते में हस्ताक्षर के साथ मिलाकर उसके बताए तीन बैंक अकाउंट्स में रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इन खातों से ट्रांसफर किए पैसे (1529000102296591) पंजाब नेशनल बैंक में 8 लाख 85 हजार 638 रुपए। खेम करण (09670100028601) आईएफएससी बैंक ऑफ बडौदा में 9 लाख 52 हजार 689 रुपए। अमेश महतो (920010011686804) एक्सिस बैंक में 4 लाख 93 हजार 628 रुपए।

जीएसटी विभाग ने हार्डवेयर कारोबारी के यहां मारा छापा

» कई घंटे चली जांच, खुलासा होना बाकी

रायपुर (आरएनएस)। जीएसटी चोरी करने के मामले में जीएसटी विभाग की टीम ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के एक हार्डवेयर कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के बॉम्बे मार्केट कॉम्प्लेक्स की एक हार्डवेयर शॉप पर छापा मारते हुए विभाग ने देर रात तक जांच की। करीब 8 घंटे की जांच के बाद अफसर यहां से लौटे। इस कार्यवाही के दौरान विभाग ने कितने की जीएसटी चोरी पकड़ी है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये छापा बॉम्बे मार्केट की सुधामा नट बोल्ट शॉप पर मारा गया। जीएसटी की टीम को इस शॉप के कारोबारी द्वारा लगभग 13 करोड़ की जीएसटी चोरी की जानकारी मिली थी। इसी की तस्दीक करने अधिकारियों ने यहां दबिश दी। अफसरों को अब तक की जांच में ये पता चला है कि कुछ दस्तावेजों के जरिए टैक्स की चोरी की गई है। करीब 8 अफसरों की टीम ने दिन भर इस दुकान में पड़ताल की। रात में शटर गिराकर जांच जारी रखी गई। अहम सबूत टीम अपने साथी ले गई है।

इस कार्रवाई से पहले जीएसटी की टीम ने रायपुर से एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने फर्म के दो ठिकानों पर छापा मारकर 7 करोड़ 26 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी है। उसके बाद फर्म के एक पार्टनर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्थित सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद कार्यालय के संयुक्त आयुक्त श्रवण कुमार बंसल ने बताया, रायपुर के फाफडीह में लालगंगा मिडास स्थित मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के कार्यालय और दोदेकलां में परफेक्ट धर्मकांटा के पास श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के कारखाने में तलाशी ली। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त हुए हैं।

एक नक्सली जनमिलिशिया सदस्य ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 01 नक्सली जनमिलिशिया सदस्य माड़वी हिड़मा पिता माड़वी केसा उम्र 45 वर्ष साकिन थाना मरईगुड़ा के द्वारा थाना मरईगुड़ा में पंकज पटेल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, मरईगुड़ा, सहायक कमांडेन्ट प्रभांशू प्रभाकर एवं उपनिरीक्षक सत्यावादी साहू थाना प्रभारी मरईगुड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बड़े नक्सली नेताओं का कोरोना से मृत्यु होने के कारण संगठन में दहशत का माहौल है, जिसके भय से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे है। आत्मसमर्पित नक्सली माड़वी हिड़मा वर्ष 2001 में थाना मरईगुड़ा क्षेत्र में पुलिस गस्त पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में अन्य नक्सलियों के शामिल था। घटना थाना मरईगुड़ा 147,148, 149, 294, 307, भादवि, 25, 27 आर्स एक्ट, 03, 05 वि.प.अधिनियम प्रकरण पंजीबद्ध है। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय दंतेवाड़ा के द्वारा वारंट जारी किया गया था। उपर्युक्त घटना के अतिरिक्त हिड़मा थाना मरईगुड़ा, गोलापल्ली एवं किस्टाराम के विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है।

मुठभेड़ में 1 लाख के ईनामी दो नक्सलियों सहित 3 नक्सली ढेर

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के थाना फरसपाल अंर्तगत ढोलकाल और पेदापाल के पहाड़ियों में डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। सर्चिंग से वापस लौटने के दौरान गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे नक्सलियों के साथ हुइ मुठभेड़ में जवानों ने तीन नक्सलियों बिड़जू ककेम, जग्गू ककेम और अजय ओयामी को ढेर कर दिया, मुठभेड़ के बाद जवानों ने तीनों ही नक्सलियों के शव बरामद कर लिया है। साथ ही मौके से 03 बंदूक, 05 पिट्ठू, 03 किलो वजनी आईईडी बम और नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मारे गये नक्सलियों 1. बिरजू काकेम पिता नंगे काकेम निवासी बेचापाल, मिलिशिया प्लाटून कमांडर 01 लाख का ईनामी, 2. जग्गू काकेम पिता सुक्कू, निवासी तमोड़ी बेचपाल आरपीसी उपाध्यक्ष 01 लाख का ईनामी, एवं 3. अजय ओयमी पिता रामनाथ निवासी नीलावाया निवासी, मिलिशिया प्लाटून सदस्य के रूप में इनकी पहचान की गई है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुवार को डीआरजी की टीम में सर्चिंग में निकली हुई थी, नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये तीनों ही नक्सली काफी लंबे समय से भैरमगढ़ एरिया में सक्रिय थे, कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। तीनों नक्सलियों में से दो नक्सलियों पर 01-01 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को इसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए अब शपथ-पत्र नहीं सिर्फ देना होगा स्व-घोषणा पत्र

» मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को कराना होगा पंजीयन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सहजता से पंजीयन एवं इसका लाभ प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा इस योजना की गाईडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देना होगा। पूर्व में जारी गाईडलाइन के अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है। अब संयुक्त खातेदार कृषकों को सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आज जारी संशोधित आदेश के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे किसानों को जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था, उन किसानों को योजनांतर्गत पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को योजनांतर्गत पंजीयन कराना है। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह उस रकबे में धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसल लगाता है, तो उसे योजनांतर्गत पंजीयन कराना होगा। संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा एवं इस संबंध में अब सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देना होगा। संयुक्त सचिव कृषि के.सी. पैकरा ने संशोधन आदेश के अनुसार पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर 29 मई 2021 को गाइडलाइन जारी की गई थी।